बिहार सरकार

सुशासन के कार्यक्रम

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना

© मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना

पुस्तिका में लिखी बातें केवल जनता के बीच प्रसारित किये जाने हेतु हैं। इसमें उल्लिखित बातों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था का कोई वैधानिक दावा नहीं होगा।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

विषय:- निर्वाचन के बाद गठित नई सरकार द्वारा निर्धारित सुशासन के न्यूनतम साझा कार्यक्रमों को सरकार की प्रशासनिक, विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी सेवा-सुविधात्मक नीति के रूप में सम्पूर्ण राज्य में लागू करने के संबंध में।

1. राज्य में पिछले निर्वाचन के फलस्वरूप नई सरकार का गठन हुआ है, जो एक साझा सरकार है। राज्य की जनता से किये गये वायदों के अनुरूप कदम उठाने के लिए इस लोकप्रिय सरकार द्वारा एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया गया है।

2. यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रशासन में पारदर्शिता लाने, लोक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने, जन जीवन को भयमुक्त बनाने, समाज के अत्यन्त पिछड़े वर्गों, दलितों, महिलाओं एवं पसमांदा अकलियतों के जीवन स्तर में सुधार लाने, राज्य के औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर जुटाने तथा बेरोजगारी दूर करने आदि लोकहित के कार्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

3. इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम को सरकार की प्रशासनिक, विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी सेवा-सुविधात्मक नीति के रूप में सम्पूर्ण राज्य में लागू करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार के सभी विभाग इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा राज्य स्तर से लेकर प्रशासन के निचले स्तर तक के सभी कार्यालय इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम निम्नलिखित हैं

प्रशासन :-

★ एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा, जो प्रशासन में सुधार लाने के लिए तीन माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसकी अनुशंसाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जायेगा।

★ कानून व्यवस्था एवं विकास से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके दायित्वों के प्रति संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाया जाएगा।

★ प्रमंडल आयुक्त और जोनल आई० जी० से लेकर डी०एम०, एस०पी० तथा प्रखंड एवं थाना स्तर के अधिकारी एक निर्धारित दिवस पर जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का निपटारा करेंगे।

★ सचिवालय के आयुक्त/सचिव एवं विभागाध्यक्ष भी एक निर्धारित दिवस पर जनता की

समस्याओं और शिकायतों को सुनकर उनका निपटारा करेंगे। जनता की शिकायतों के निपटारा के लिए मुख्य सचिव के अधीन जनशिकायत कोषांग की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक आयुक्त/सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। पुलिस से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में जनशिकायत कोषांग की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक आई० जी० स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये जन शिकायत कोषांग पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और मुख्य सचिव के निरंतर संपर्क में तो रहेंगे हीं, मुख्यमंत्री भी इसके मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा करेंगे। जन शिकायत कोषांग की पूरी कार्यवाही का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा।

★ हत्या, अपहरण, फिरौती, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त एवं कारगर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल का हर स्तर पर आधुनिकीकरण होगा। अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावकारी निरोधात्मक कदम उठाये जायेंगे। अपराध घटित होने पर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी एवं उनसे सम्बन्धित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

★ राजनीतिक हिंसा से सख्ती से निपटा जाएगा। नक्सल समस्या के समाधान के लिए व्यापक एवं समेकित योजनाएं बनाने के लिए पहल किये जायेंगे।

★ जेल प्रशासन को जिम्मेदार बनाया जाएगा तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा। जेलों का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

★ महिलाओं, बच्चों, दलितों, अल्पसंख्यकों एव समाज के गरीब और कमजोर तबकों की हिफाजत सुनिश्चित की जाएगी।

★ ग्रामीण इलाकों में अराजक, असामाजिक एवं शरारती तत्त्वों पर नकेल कसी जाएगी।

★ जन वितरण प्रणाली को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाकर इसका लाभ समाज के गरीब गुरबों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। विशेष रूप से यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार राशन कार्ड उपलब्ध हों।

★ जिन विभागों/कार्यालयों से जनता का सीधा सम्पर्क होता है, वहाँ अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाएगा एवं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई समयवद्ध तरीके से की जाएगी। अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का पुरस्कृत किया जाएगा।

★ सरकारी सेवकों की सेवा सम्बन्धी मामलों को चरणवद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा।

सत्ता का विकेंद्रीकरण :-

★ सरकार तमाम ऐसे कदम उठायेगी, जिसमें पंचायती राज संस्थायें तथा नगर निकाय संस्थायें मजबूत एवं अधिकार संपन्न तथा स्थानीय स्वशासन की प्रमाणिक संस्थायें बने। बिहार का विकास करने, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने तथा विकास को न्याय से जोड़ने के लिए स्थानीय स्वशासन की इन संस्थाओं का मजबूत औजार के तौर पर उपयोग किया जाएगा।

शिक्षा :-

★ बिहार में शिक्षा के स्तर को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा।

★ सरकारी स्कूल के भवनों का निर्माण तथा वर्तमान भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

★ विश्वविद्यालयों, विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं/सत्र् का समय पर संचालन करने के लिए वार्षिक कैलेण्डर सख्ती से लागू किया जायेगा।

★ विश्वविद्यालयों, विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मेधावी छात्रों को राज्य में ही वांछित शिक्षा उपलब्ध हो सके।

★ शिक्षा में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन उन पर सरकार की नजर होगी कि वे शिक्षा के आदर्शों और गुणवत्ता का पालन कर रहे हैं या नहीं।

★ तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक तथा उच्च शिक्षा के नये संस्थानों को खोलने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

★ प्राध्यापकों/शिक्षकों को अपने कर्तव्य के प्रति अधिक जागरूक करने एवं उनके ज्ञान तथा दक्षता को अद्यतन करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

★ शिक्षकों के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।

★ साक्षरता के अभियान को गतिमान बनाया जाएगा।

★ सभी शोध संस्थानों की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने का प्रयास होगा।

स्वास्थ्य :-

★ बिहार में स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए डाक्टरों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति अस्पतालों, नर्सिंग होम तथा क्लीनिकों को मानक का निर्धारण भी करेगी।

★ राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन करके उनकी सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। पी०एम०सी०एच० को सुपर स्पेशलिटी की सारी

सुविधाओं से सुसज्जित कर राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को टेली-कॉनफ्रेन्सिंग के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। यह भी व्यवस्था की जाएगी कि जिला स्तर के अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से टेली/कॉनफ्रेन्सिंग के माध्यम से जोड़ा जाये।

★ राज्य को कुष्ठ रोग एवं कालाजार से पूर्णत: मुक्त कराया जाएगा। सभी प्रकार के टीकाकरण कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा एवं विशेष रूप से सघन कार्यक्रम चलाकर राज्य को पोलियो से पूर्णत: मुक्त कराया जाएगा।

★ एड्स की रोक थाम के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।

★ राज्य में मोबाईल अस्पतालों की व्यवस्था की जाएगी।

★ जिला एवं अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का सुधार किया जाएगा।

★ राज्य में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

रोजगार :-

★ कृषि क्षेत्र, आई.टी., बायोटेकनोलोजी, होटल मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट आदि जैसे उद्योगों, पर्यटन, शिल्प तथा कुटीर उद्योग में अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे।

★ इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की जाएगी ताकि यदि कोई व्यक्ति बिहार से बाहर जाए तो उसे अपने हुनर के अनुरूप अधिक से अधिक धनार्जन हो सके।

सड़क :-

★ 500 तक की जनसंख्या के बसावट को सड़कों से जोड़ा जाएगा।

★ सड़कों का निर्माण पूर्ण-गुणवत्ता के साथ किया जाएगा।

★ सड़कों के सुदृढीकरण तथा रख रखाव की परियोजनायें बनाकर उनका समयवद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया जाएगा।

★ राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं ग्रामीण सड़कों की परियोजनाओं को समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

★ सड़क निर्माण के लिए भयमुक्त वातावरण बनाया जाएगा, जिससे देश एवं प्रदेश की प्रतिष्ठित निर्माण संस्थायें आधुनिकतम तकनीक एवं उपकरणों का प्रयोग करके बेहतर सड़कों का निर्माण समयवद्ध तरीकों से कर सकेंगी।

बिजली :-

★ स्थापित प्लांटो का आधुनिकीकरण कर प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाया जाएगा।

★ केन्द्र एवं राज्य सरकार के निर्माणधीन प्लांटों का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा।

★ पारेशन लाइनों, विद्युत सबस्टेशनों तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।

★ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा।

★ सरकारी एवं निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन के नये प्लांट लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

★ किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक बिजली आपूर्ति की जाएगी।

★ किसानों को सिंचाई के ट्यूबवेल के लिए प्राथमिकता पर कनेक्शन दिये जायेंगे।

★ बिजली तथा ट्रांसफार्मरों की चोरी करने एवं तार काटने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

★ ऊर्जा के अपरम्परागत स्त्रोतों यथा पनबिजली, सौर ऊर्जा तथा बायोडीजन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पेयजल :-

★ पूरे राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी।

सिंचाई :-

★ राज्य में उपलब्ध नहरों के नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा।

★ राज्य की नदियों को जोड़ कर जल प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्याओं का समुचित निदान हो सके।

★ बाढ़ की समस्या के स्थाई निदान के लिए पड़ोसी देश एवं राज्यों से समन्वय स्थापित किया जाएगा।

★ किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सरकारी ट्यूबबेल भी लगवाये जायेंगे।

★ परंपरागत सिंचाई पद्धति का भी जीर्णोद्धार किया जायेगा।

★ ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के पारम्परिक स्त्रोतों यथा आहर, पोखर, पईन आदि का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

★ बरसाती नदियों का सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा जगह-जगह चेक डेम बनाकर किसानों को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

★ सुखाड़ क्षेत्र में वर्षा-जल के संरक्षण के उपाय किये जायेंगे।

★ जल जमाव की समस्या को हल करते हुए उचित जल प्रबंधन के द्वारा कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना कार्यान्वित की जाएगी।

कृषि विकास :-

★ सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाया जाएगा।

★ किसानों तक नई तकनीक पहुँचाने के लिए विस्तार कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जायेगा।

★ किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए विपणन प्रणाली को सुदृढ़ एवं सर्वसुलभ बनाया जाएगा।

★ किसानों को प्रमाणित तथा उन्नत किस्म के बीज एवं खाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाएंगे।

★ जैविक खाद एवं जैविक खेती तथा जैविक खाद बनाने के प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

★ बागबानी, हर्बल खेती तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।

★ दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, मुर्गी पालन तथा डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जायेगा।

★ बिहार के विशेष फलों यथा लीची, केला, नारियल, आम, अनानास आदि तथा विशेष रूप से मखाना के उत्पादन एवं गुणवत्ता को बढ़ाकर इनके निर्यात को प्रोत्साहित किया जायेगा।

★ पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज/भंडार घरों का निर्माण किया जाएगा, ताकि कृषि उपज/उत्पादों का भंडारण हो सके।

★ खेती के लिए किसानों को आधुनिक औजार सहजता से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

गन्ना किसानों की हालत में बेहतरी :-

★ सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में तथा गन्ना किसानों की हालत से सुधार हो। चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार, बंद मिलों को चालू कराने तथा नई चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए उपाय किये जायेंगे। गुड़ एवं खंडसारी उत्पादन एवं व्यवसाय को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

ग्रामीण विकास :-

★ गाँवों को शहर जैसी सुविधायें यथा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सुरक्षा इत्यादि देकर स्वावलंबी बनाया जाएगा जिससे कि गाँव से शहर की ओर के पलायन को कम किया जा सके।

★ राज्य भर में ग्राम ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जायेगी जो कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधाओं से सम्पन्न रहेंगे तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के जीवन्त केन्द्रों के तौर पर विकसित होंगे।

भूमि सुधार :-

★ राज्य में भूमि सुधार आयोग का गठन।

★ भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत तथा अद्यतन किया जायेगा।

★ भूदान एवं भू-हदबन्दी से प्राप्त भूखण्डों को कमजोर वर्गों के बीच आवंटित किया जाएगा।

★ भूमिहीनों को बासगीत जमीन दिलाई जाएगी।

★ चकबंदी कार्यक्रम को पुनर्जीवित कर इसे प्रभावी बनाया जाएगा।

★ जमीन संबंधी विवादों का निपटारा अभियान चला कर किया जाएगा।

औद्योगिक तथा लघु उद्योग :-

★ राज्यों में नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी जिससे राज्य में नये उद्योगों का जाल बिछाकर रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हों।

★ उद्योगपतियों को आधारभूत सुविधायें तथा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य में औद्योगिकीकरण के लिए उचित वातावरण तैयार कर उद्योगपतियों को पूँजी-निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

★ राज्य में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों यथा चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल तथा सीमेंट उद्योग आदि को पुनर्जीवित कर उनका उन्नयन किया जाएगा।

★ लघु उद्योग शिल्प तथा अन्य कुटीर उद्योगों को भरपूर संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा।

★ राज्य में हैन्डलूम में लगे बुनकरों का समयबद्ध सर्वेक्षण कराकर उनकी समस्याओं का समुचित निदान किया जाएगा।

★ भागलपुर के रेशम उद्योग, मिथिला की पेंटिग कला तथा बांस-बेत के कुटीर उद्योग आदि को संरक्षण दिया जाएगा तथा दस्तकरों की समस्याओं का निदान किया जाएगा।

इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तथा नैनो टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन :-

★ विश्व में इन क्षेत्रों में हुई प्रगति तथा रोजगार की अधिकतम सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य में कालबद्ध नयी नीति निर्धारित की जाएगी ताकि इन क्षेत्रों में रोजगारपरक शिक्षा उद्योग को सम्मानजनक स्थान दिलाया जा सके।

सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सद्भाव :-

- ★ पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों, पसमांदा अकलियतों और दलितों के विकास की विशेष योजना बनाई जाएगी।
- ★ अतिपिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ।
- ★ पंचायत तथा नगर निकाय में अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण
- ★ साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सद्भाव तथा आपसी भाईचारे को बढ़ाने को लिए हर तरह की पहल।
- ★ महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों पर विशेष जोर।
- ★ श्रमिकों की समस्याओं का निवारण।
- ★ समाज में उपेक्षित एवं परित्यक्त पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था।
- ★ बेरोजगारी एवं भुखमरी के कारण भीख मांगने पर मजबूर लोगों के लिए पुनर्वास की योजना बनायी जायेगी।

अल्पसंख्यक कल्याण :-

- ★ बिहार के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये निम्नांकित 10 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जायेगा।
- ★ साम्प्रदायिक सद्भाव को हर कीमत पर बहाल रखा जाएगा ।
- ★ मुस्लिम युवा वर्ग, विशेष कर युवतियों को तालीम और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिससें उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें।
- ★ मदरसों में भी कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी तथा उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा। उनके शिक्षकों के वेतन भुगतान को भी नियमित किया जाएगा।
- ★ मृत हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित किया जाएगा।
- ★ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा।
- ★ उर्दू भाषा और साहित्य को समृद्ध करने के लिए अकादमी को मजबूत बनाया जाएगा। सभी महकमों में उर्दू अनुवादकों के खाली पदों को भरा जाएगा।
- ★ कब्रिस्तानों की पैमाइश कर उसकी घेराबंदी कराई जाएगी।
- ★ अकलियतों से जुड़े सभी संस्थानों व निगमों जैसे अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त निगम को गतिशील बनाया जाएगा।
- ★ भागलपुर दंगे की अधूरी जाँच को पूरा कर दोषियों को दंडित किया जाएगा तथा

प्रभावितों को मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जायेगा।

★ अकलियतों को राजनीति में वाजिब भागीदारी दी जाएगी।

इसी प्रकार अन्य अल्पसंख्यकों के हितों की समुचित सुरक्षा करते हुए उनके विकास एवं कल्याण की समयबद्ध योजनाएं लागू की जाएंगी जिससे उनकी पहचान बनी रहे।

पर्यटन :-

★बिहार की अमूल्य ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा का अब तक समुचित रूप से प्रस्तुतीकरण नहीं हो सका है। इस राज्य के पर्यटन-केन्द्र के रूप में विकसित होने की अपार संभावनाएं है। योजना है कि सभी छोटे-छोटे पर्यटन स्थलों का उचित विकास करके वहीं पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाए।

★बौद्ध, जैन, सूफी, सिख, ईसाई एवं हिन्दू धर्म के धरोहरों को अलग-अलग सर्किटों में बाँट कर पैकेजनुमा पर्यटन की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन का साथ होटल, सड़क, मनोरंजन, संचार, परिवहन, सुरक्षा एवं स्थानीय कुटीर उद्योग आदि से होता है। इसलिए पर्यटन के साथ-साथ इन सभी उद्योगों में रोजगार के नये अवसर अवश्य ही उपलब्ध होंगे। इन सबों को समग्र रूप में विकसित किया जायेगा।

परिवहन व्यवस्था :-

★ राज्य में दूर-दराज ग्रामीण इलाकों तक स्थल परिवहन की व्यवस्था की जायेगी।

★ गंगा जैसी बड़ी नदी के माध्यम से जल परिवहन की व्यवस्था के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा।

★ हर शहर में यातायात योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित किया जायेगा। बड़े शहरों में बिजली के सिगनल की व्यवस्था होगी।

★ परिवहन संचालन के लिए बेरोजगार नौजवानों को वाहन खरीदने के लिए विशेष ऋण दिया जाएगा।

★ पारम्परिक परिवहन व्यवस्था यथा टमटम, रिक्शा आदि की डिजाईनों में सुधार करके उन्हें कम श्रमसाध्य बनाया जायेगा।

पर्यावरण एवं वानिकी :-

★ वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं सम्बर्धन के लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

★ पूरे प्रदेश में अधिकाधिक वानिकी का विस्तार किया जाएगा।

★ सड़को के किनारे, सरकारी कार्यालयों तथा अन्य परती भूखण्डों में युद्ध स्तर पर पेड़ लगाये जायेंगे।

★ पेड़ों की देखभाल तथा सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जायेगी।

★ वन्य प्राणियों, गंगा डाल्फिन जैसे लुप्त हो रहे प्राणियों एवं प्रजातियों की सुरक्षा के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

★ परम्परागत ईधन एवं चूल्हे से वातावरण दूषित होता है। इसके लिए नये अपरम्परागत एवं उन्नत संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

★ ऊर्जा के नेय स्त्रोतों के रूप में बायोडीजल यथा रतनजोत एवं अन्य प्रजातियों की खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा।

शहरों का आधुनिकीकरण :-

★ पटना सहित राज्य के सभी प्रमण्डलीय मुख्यालयों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण शहरों का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

युवा कल्याण एवं खेलकूद :-

★ युवा शक्ति के विकास की योजनाएं चलाई जायेंगी।

★ प्रदेश के अच्छे खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

★ प्रमण्डल एवं जिला मुख्यालय में स्टेडियम बनाये जायेंगे। विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में भी खेल-कूद की सुविधायें मुहैया करायी जायेंगी।

संस्कृति एवं कला :-

★ बिहार की आंचलिक संस्कृति, संगीत एवं कला के जो धरोहर हैं उन्हें विकसति एवं संरक्षित किया जायेगा।

★ बिहार के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, कला एवं रंगकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा।

★ बिहार में फिल्म एवं टेलीविजन उद्योग की बढ़ावा दिया जाएगा।

★ मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसकी समीक्षा समय-समय पर की जायेगी।

★ प्रगति का अनुश्रवण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में गठित अनुश्रवण कोषांग द्वारा किया जायेगा।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। सरकार के सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को न्यूनतम साझा कार्यक्रम की पुस्तिका उपलबध करवाने की व्यवस्था की जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अशोक कुमार चौहान)
सरकार के सचिव

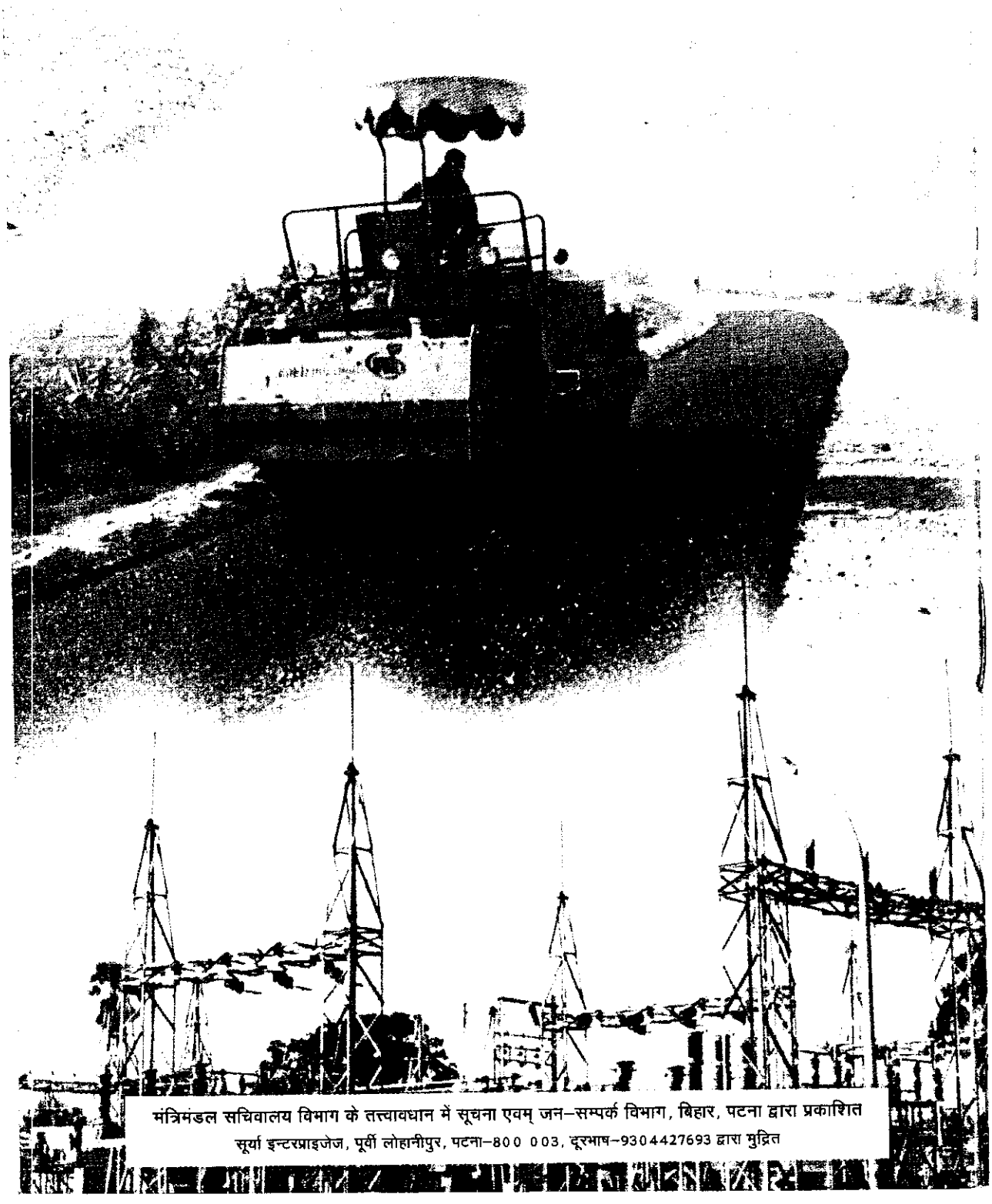

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तत्त्वावधान में सूचना एवम् जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित
सूर्या इन्टरप्राइजेज, पूर्वी लोहानीपुर, पटना–800 003, दूरभाष–9304427693 द्वारा मुद्रित